

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया गांधीनगर -

एसटीपी/ईएचटीपी योजना से अंतिम निकास की प्रक्रिया

एसटीपीईएचटीपी योजना से बाहर /के अनुसार एसटीपी 6.17 ईएचटीपी इकाइयां मौजूदा एफटीपी के खंड/ निकल सकती हैं। सैद्धांतिक रूप से बाहर निकलने के बाद, इकाइयां सीमा शुल्क अधिकारियों से एनओसी प्राप्त करने के बाद एसटीपीईएचटीपी योजना से अंतिम रूप से बाहर निकलने के लिए आवेदन कर सकती / हैं।

एसटीपीआई को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

- 1 एसटीपीईएचटीपी योजना से अंतिम निकास के लिए औपचारिक अनुरोध पत्र/, साथ ही लंबित दस्तावेज, यदि कोई हों।
- 2 सीमा शुल्क द्वारा जारी किया गया कोई बकाया नहीं प्रमाणपत्र।

अनुमोदन प्रक्रिया:

उपरोक्त दस्तावेजों की प्राप्ति पर निम्नलिखित मापदंडों का सत्यापन किया जाएगा -:

- सीमा शुल्क से जारी कोई बकाया नहीं प्रमाणपत्र।
- सैद्धांतिक रूप से बाहर निकलने के दौरान टिप्पणियाँ ।(यदि कोई हो)-

यदि उपरोक्त पैरामीटर सहीपूरे पाए जाते हैं/, तो योजना से अंतिम रूप से बाहर निकलने की अनुमति जारी की जाएगी।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए :

हमें मेल करें :GNR.EXIM@stpi.in

संपर्क करें : 079-66748531, 32